

# कार्यालय, नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)

पत्रांक 1863

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,  
नगर पंचायत, हिसुआ  
(नवादा)

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा परीक्षा)  
बिहार, पटना।

हिसुआ, दिनांक 19/12/2018

विषय : लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 534/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) के वित्तीय वर्ष 2013-14 तक के लेखाओं पर

आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या 534/2014-15 का कण्डिकावार अनुपालन प्रतिवेदन

अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ इसके साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :-  
यथावत्।

विश्वासभाजन

Eo/

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, हिसुआ  
(नवादा)

ज्ञापांक 1863/हिसुआ, दिनांक 19/12/18

प्रतिलिपि : सरकार के विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत, हिसुआ  
(नवादा)

# कार्यालय, नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा)

नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) के वर्ष 2013-14 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन  
संख्या - 534 / 2014-15 का कण्डिकावार अनुपालन प्रतिवेदन


क्रम सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सांख्य	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	भाग-1 प्रस्तावना-1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
2	2	लेखा वर्ष 2013-14	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
3	3	अंकेक्षण की अवधि	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
4	4	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
5	5	कार्यालय प्रधान का नाम	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
6	6	क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार-विमर्श हुआ	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
7	7	दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
8	8	लेखा परीक्षा परिणाम	आगे की कण्डिकाओं में प्रतिवेदन अंकित है। अतः इस कण्डिका को निरस्त किया जा सकता है।	



क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
9	9	सामान्य अभ्युक्ति	अभ्युक्ति में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है अनुदान पंजी, सम्पत्ति पंजी, का संश्लरण किया जा चुका है। Annexure (i), (ii), (iii) पृष्ठ 57 से 80 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
10	भाग-II (क)	शून्य	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।	
11	भाग-II (ख) 1 (1)	35 KVA 3 Phase Fabriccon Make D.G. Set Generaor का अनुपयोगित रहना	क्रय किये गये जेनेरेटर सेट का भण्डार पंजी में प्रविष्टि किया जा चुका है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। Annexure (iv) पृष्ठ 56 पर	
12	1 (2)	जेनेरेटर का अनुपयोगित रहना	नगर पंचायत, हिसुआ (नवादा) की बोर्ड के द्वारा जेनेरेटर क्रय किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में क्रय किया गया तथा जेनेरेटर का उपयोग हो रहा है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
13	1 (3)	तथैव	तथैव अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
14	1 (4)	तथैव	तथैव अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	



क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
15	कण्डिका (2)	सोलर स्ट्रीट लाईट का क्रय	<p>सोलर स्ट्रीट लाईट क्रय हेतु प्रकाशित किये गये कोटेशन सूचना 2013 का पेपर कटिंग कार्यालय में उपलब्ध है। Annexure (v) पृष्ठ 53 से 55 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।</p> <p>अक्षय ऊर्जा शॉप, जहानाबाद चूँकि ब्रेडा का एंजेन्सी था और उनका दर सबसे न्यूनतम था। इसलिए क्रय समिति द्वारा इनका कोटेशन स्वीकृत किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन के आलोक में तकनीकी अभियन्ताओं का टीम गठित कर स्थलीय जाँच कराया गया। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार अधिष्ठापित किये गये सभी सोलर स्ट्रीट लाईट की गुणवत्ता सही पायी गयी तथा सभी सोलर लाईट कार्यरत अवस्था में पाया गया है। अधिष्ठापित किये गये सोलर स्ट्रीट लाईट का फोटोग्राफ उपलब्ध है। Annexure (vii) पृष्ठ 45 से 48 तक</p>	
16	कण्डिका (3)	प्रशिक्षण कार्यक्रम का संदेहास्पद क्रियान्वयन	<p>नगर विकास एवं आवास विभागके तरफ से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के आलोक में संस्थाओं के द्वारा आवेदन दिया गया था, संस्थाओं का चयन मुख्य पार्षद एवं नगर पंचायत बोर्ड के द्वारा किया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 1/3/2013 से 31/7/2013 तक चला। प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति पंजी संस्था के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। Annexure (viii) पृष्ठ 28 से 43 तक</p>	




क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
17	कण्डिका (4)	<p><u>तेरहवीं वित्त आयोग</u></p> <p>(2) अनुदान का उपयोग दयनीय</p> <p>(2) वर्ष 2013-14 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत नाली का निर्माण कराया जाना प्रावधानानुकूल नहीं।</p> <p>(3) पाईप जलापूर्ति योजनान्तर्गत चापाकल का अधिष्ठापन किया जाना प्रावधानानुकूल नहीं।</p>	<p>इस मद अन्तर्गत प्राप्त संपूर्ण अनुदान की राशि का उपयोग किया जा चुका है।</p> <p>अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।</p> <p>नगर पंचायत, हिसुआ की बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार नाली निर्माण का कार्य कराया गया है, साथ ही सरकारी पत्रांक 3253/न.वि. एवं आ.वि. दिनांक 27/10/2014 के द्वारा 13वीं वित्त की राशि से नाली निर्माण कराये जाने का निदेश दिया गया है। Annexure (ix) पृष्ठ 26 एवं 27 पर</p> <p>अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।</p> <p>नगर पंचायत, हिसुआ की बोर्ड के निर्णयानुसार पाईप जलापूर्ति योजनान्तर्गत चापाकलों का अधिष्ठापन कार्य कराया गया है। साथ ही सरकारी पत्रांक 3253/न.वि. एवं आ.वि. दिनांक 27/10/014 के द्वारा जलापूर्ति मद अन्तर्गत चापाकल के माध्यम से जलापूर्ति कराये जाने का निदेश दिया गया है। Annexure (ix) पृष्ठ 26 एवं 27 पर</p> <p>अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।</p>	
18	कण्डिका (5)	अनुदान राशि का अवरोधन रुपये 3.940 लाख	<p>वित्तीय वर्ष 2008 से 2014 प्राप्त अनुदान राशि का अवरोध विवरणी पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार मद में अवरोध राशि मो. 2,10,942/- एवं माननीय विधायकों की अनुशंसा के आलोक में प्रत्येक वार्ड में दो-दो चापाकल अधिष्ठापन कार्य की अवरोध राशि मो. 1,83,312/- को सरकार को वापस लौटा दिया गया है।</p> <p>अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। Annexure (x) &amp; (xi) पृष्ठ 24 एवं 25 पर</p>	
19	कण्डिका (6)	श्रम उपकर कटौति नहीं किया जाना।	<p>सभी प्रकार की योजनाओं में एक प्रतिशत श्रम उपकर की कटौति की जा रही है।</p> <p>अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। Annexure (xii) पृष्ठ 21 से 23 तक</p>	

क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1		3	4	5
20	कण्डिका 7 (i)	नहीं जमा (रुपये 1.17 लाख) (एच. रसीद)	वर्ष 2014-15 के दौरान एच. रसीद के द्वारा वसूली की गई राशि मो. (1.70 लाख) रुपये नगर पंचायत कोष में जमा किया जा चुका है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
21		(ii) नहीं जमा (रुपये 1.20 लाख) (विविध एवं बस स्टैण्ड)	वर्ष 2014-15 के दौरान विविध रसीदों एवं बस स्टैण्ड रसीदों के माध्यम से वसूली की गई राशि मो. 1,20,740/- रुपये नगर पंचायत कोष में जमा किया जा चुका है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। Annexure (xiii) पृष्ठ 20 पर	
22	कण्डिका (8)	होलिडिंग कर की बकाया राशि (रुपये 4.13 लाख)	माँगा एवं वसूली पंजी का संभारण किया जा रहा है। बकाया होलिडिंग कर की वसूली की जा रही है। साथ ही सरकारी भवनों में विद्युत विभाग के भवन से बकाया राशि की वसूली की जा चुकी है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
23	कण्डिका (9)	मोबाइल टावर पर बकाया राशि (रुपये)	नगर पंचायत क्षेत्र में कुल-9 मोबाइल टावर अधिष्ठापित हैं, टावर शुल्क वसूली हेतु नोटीस निर्गत की गई है। बकाया राशि की वसूली कर ली जायेगी। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
24	कण्डिका (10)	दूकान किराया की वसूली नहीं होना (रुपये 37 लाख)	दूकान किराया की वसूली की जा रही है। दर्शायी गई मो. 1,37,200/- रुपये की वसूली हो चुकी है तथा आगे भी वसूली का कार्य चल रहा है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
25	कण्डिका (11)	मापी पुरस्त के अनुसार मद में प्राक्कलन से अधिक भुगतान रुपये 1.07 लाख	स्वीकृत प्राक्कलन के अन्तर्गत स्थल पर किये गये वास्तविक कार्य के अनुरूप मापी पुरस्तिका दर्ज की गई है। कार्य जनहित में कराया जाना आवश्यक था। किये गये कार्य का वरीय जाँच सहायक अभियन्ता के द्वारा की जा चुकी है। फिर भी भविष्य में अंकेक्षण दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
26	कण्डिका (12)	दैनिक मजदूरों के वेतन पर अनाधिकृत भुगतान रुपये 8.04 लाख	नगर पंचायत, हिसुआ में वर्ष 1986 से ही सफाई कर्मियों का मात्र 5 पद पर ही सरकार द्वारा सृजित है, जबकि इस बीच नगर पंचायत, हिसुआ की जनसंख्या के साथ-साथ नये-नये सड़कों/गलियों का विस्तार हो चुका है जिसके अनुपात में सफाई कर्मों की संख्या नगण्य है। सफाई व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जनहित में नगर पंचायत हिसुआ की बोर्ड के निर्णयानुसार दैनिक पारिश्रमिक पर बाहरी मजदूरों को रखकर शहरी सफाई का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही सरकार से पद सृजन की स्वीकृति हेतु भी स्मारित किया जा रहा है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
27	कण्डिका (1)	<u>TAN</u> सरकारी अनुदान	सहायक सेकड़ पंजी का संधारण किया जा चुका है। Annexure (xiv) पृष्ठ 16 से 19 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
28	कण्डिका (2)	कोषागार पासबुक का अनियमित संधारण	कोषागार पासबुक नियमित रूप से संधारित किया जा चुका है। Annexure (xv) पृष्ठ 11 से 15 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
29	कण्डिका (3)	आय-व्यय लेखा, प्राप्तिर्याँ एवं अदायगी तथा तुलन-पत्र का तैयार नहीं किया जाना।	वार्षिक आय-व्यय लेखा, प्राप्तिर्याँ एवं अदायगी तैयार किया जा चुका है। Annexure (xvi) पृष्ठ 04 से 10 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
30	कण्डिका (4)	आय-व्यय P/L A/C	नगर पंचायत, हिसुआ का P/L A/C का आय-व्यय का मदवार विवरणी तैयार किया जा चुका है। Annexure (xvii) पृष्ठ 01 से 03 तक अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	



क्र. सं.	कण्डिका सं.	अंकेक्षण आपत्ति का सारांश	अनुपालन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
31	कण्डिका (5)	योजना की स्थिति (1) वर्ष 2013-14 में ली गई 44 योजनाएँ में 40 पूर्ण, 2 अपूर्ण एवं 2 में कार्य जारी भुगतान नहीं (2) चतुर्थ एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष मद की योजना संख्या 03 / 13-14 एवं 12 / 13-14 अपूर्ण।	वर्ष 2013-14 में ली गई सभी 44 योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। तथा सभी में भुगतान कर दिया गया है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है। चतुर्थ एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष मद की योजना सं.-3 / 2013-14 एवं 12 / 2013-14 का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	
32	कण्डिका (6)	सशक्त स्थायी समिति की बैठक का न होना।	सशक्त स्थायी समिति का नियमित रूप से बैठक आयोजित की जा रही है। अतः कण्डिका निरस्त किया जा सकता है।	

  
 कार्यपालक पदाधिकारी  
 नगर पंचायत, हिसुआ  
 (नवभरती)